

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट [www.forest.uk.gov.in /](http://www.forest.uk.gov.in/)
फोन / फ़ैक्स:-0135-2741607, 2742641
ई-मेल:-ccfpmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी/
देहरादून, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर, 2018।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की योजना "2406-01-001-03-00-सामान्य अधिष्ठान" के अन्तर्गत कोषागार मदों में बजट का आवंटन।


संदर्भ :- शासनादेश सं0-900/X-2-2018-12(18)/2012 दिनांक 03 मई, 2018 (पूर्व में प्रेषित)।


महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. S1805270019 दिनांक 02.05.2018 से वित्तीय वर्ष 2018-19 में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की योजना "2406-01-001-03-00-सामान्य अधिष्ठान" के अन्तर्गत कोषागार मदों में शासन से अवमुक्त धनराशि ₹ 3,76,96,00,000/- (₹ तीन अरब छिहत्तर करोड़ छियानबे लाख मात्र) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹ 3,74,43,67,000/- (₹ तीन अरब चौहत्तर करोड़ तैतालीस लाख सड़सठ हजार मात्र) के उपरान्त एवं विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा समर्पण किये जाने फलस्वरूप वर्तमान में H.O.D. कोड पर वर्तमान में आरक्षित धनराशि ₹ 2,74,78,278/- (₹ चार करोड़ पैसठ लाख छप्पन हजार दो सौ अठहत्तर मात्र) में से वर्तमान में ₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख मात्र) का ऑन लाइन आवंटन विभाग के आहरण वितरण अधिकारी-मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ जारी करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया तदनुसार सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से कोषागार मदों में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

- 1- संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 2- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय किस्तों में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
- 3- धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
- 4- अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुरांगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो के अन्तर्गत ही रहेगी।
- 6- बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
- 7- आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-1041/3-2

अलोटमेंट आई डी - H1812270992

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -17-Dec-2018

DDO Name - CCF Forest Protection (F Fire & D Mnqt) Dehradun (4328) , Treasury - Dehradun (0100)

लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी
 001 - निदेशन तथा प्रशासन
 03 - सामान्य अधिष्ठान
 00 - सामान्य अधिष्ठान

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted योग
01 - वेतन	6225000	0	6225000
02 - मजदूरी	600000	0	600000
03 - मंत्रगार्ह भत्ता	623000	0	623000
04 - यात्रा व्यय	70000	0	70000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	95000	0	95000
06 - अन्य भत्ते	600000	0	600000
07 - मानदेय	4000	0	4000
08 - कार्यालय व्यय	30000	0	30000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	10000	0	10000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100000	0	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	15000	0	15000
15 - गाड़ियों का अन्तर्क्षण और पेट्रो	90000	0	90000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं	20000	0	20000
18 - प्रकाशन	10000	0	10000
22 - आतिथ्य व्यय विपयक भत्ता आ	10000	0	10000
26 - मशीनें और यन्त्रा /उपकरण औ	50000	100000	150000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50000	0	50000
31 - सामग्री और सम्पत्ति	15000	0	15000
42 - अन्य व्यय	40000	0	40000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	10000	0	10000
47 - कम्प्यूटर अन्तर्क्षण/वत्सम्बन्धी	8677000	100000	8777000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 100000

Baindury

[Signature]
 वित्त नियंत्रक
 वन विभाग
 कार्यालय
 प्रमुख वन संरक्षण
 देहरादून